


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2508]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937

No. 2508]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का.आ. 3182(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खण्ड (च) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित भागीदार राज्यों की सहमति और बोर्ड के परामर्श के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की अनुसूची में यथानिर्धारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रों के विवरण से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. हरियाणा राज्य के संबंध में अनुसूची की क्र.सं. 2 में मौजूदा प्रविष्टियां, जिन्हे बाद में दिनांक 1 अक्टूबर 2013 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2979 (अ) की क्र.सं. 1 के तहत संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाती हैं:-
 - xii. संपूर्ण जींद जिला जिसमें जींद, जुलाना, सफीदौ और नरवाना तहसील शामिल हैं।
 - xiii. संपूर्ण करनाल जिला जिसमें करनाल, नीलोखेड़ी, घरोंदा, असंध और इन्दरी शामिल हैं।
2. उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित अनुसूची के क्रम सं. 3 पर मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:
 - i. संपूर्ण गाजियाबाद जिला जिसमें गाजियाबाद, मोदी नगर और लोनी तहसील शामिल हैं;
 - ii. संपूर्ण हापुड़ जिला जिसमें हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना तहसील शामिल हैं;

- iii. संपूर्ण बुलन्दशहर जिला जिसमें बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, खुर्जा, शिकरपुर, डिबाई, अनूपशहर और स्याना तहसील शामिल हैं;
- iv. संपूर्ण बागपत जिला जिसमें बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील शामिल हैं;
- v. संपूर्ण मेरठ जिला जिसमें मेरठ, मवाना और सरधाना तहसील शामिल हैं;
- vi. संपूर्ण गौतमबुद्ध नगर जिला जिसमें दादरी, सदर और जेवर तहसील शामिल हैं;
- vii. संपूर्ण मुजफ्फरनगर जिला जिसमें मुजफ्फरनगर, बुढाना, जनसथ और खतौली तहसील शामिल हैं।

[सं. के-11019/9/2013-डीडी-VI]

आर.के. वाष्ण्य, अवर सचिव (डीडी-VI)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

S.O. 3182(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in pursuance of consent of concerned participating States and in consultation with the Board, the Central Government hereby makes the following amendments relating to the description of the areas in the National Capital Region as specified in the Schedule to the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985):-

1. To the existing entries at S.No.2 of the Schedule as amended thereafter vide Sl. No. 1 of the Gazette Notification No. S.O. 2979 (E) dated 1st October, 2013 relating to the State of Haryana, the following entries are added:-

xii. The whole of district of Jind comprising the Tehsils of Jind, Julana, Safidon and Narwana;

xiii. The whole of district of Karnal comprising the Tehsils of Karnal, Nilokheri, Gharaunda, Assandh and Indri.

2. The existing entries at S.No.3 of the Schedule relating to the State of Uttar Pradesh are substituted with the following :-

i. The whole of district of Ghaziabad comprising the Tehsils of Ghaziabad, Modi Nagar and Loni;

ii. The whole of district of Hapur comprising the Tehsils of Hapur, Garhmukteshwar and Dhaulana;

iii. The whole of district of Bulandshahr comprising the Tehsils of Bulandshahr, Sikandrabad, Khurja, Shikarpur, Debai, Anoopshahr and Syana;

iv. The whole of district of Baghpat comprising the Tehsils of Baghpat, Baraut and Khekra;

v. The whole of district of Meerut comprising the Tehsils of Meerut, Mawana and Sardhana;

vi. The whole of district of Gautam Buddha Nagar comprising the Tehsils of Dadri, Sadar and Jewar;

vii. The whole of district of Muzaffarnagar comprising the Tehsils of Muzaffarnagar, Budhana, Jansath and Khatauli.

[No. K-11019/9/2013-DDVI]

R. K. VARSHNEYA, Under Secy. (DD-VI)